



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-24102020-222730
CG-DL-W-24102020-222730

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 32] नई दिल्ली, अक्टूबर 11—अक्टूबर 17, 2020, शनिवार / आश्विन 19—आश्विन 25, 1942
No. 32] NEW DELHI, OCTOBER 11—OCTOBER 17, 2020, SATURDAY/ASVINA 19— ASVINA 25, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि. 145.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (दंत स्वास्थ्य चिकित्सा विज्ञानी, समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2009 को, उन बातों के सिवाए अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में दंत स्वास्थ्य चिकित्सा विज्ञानी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, दंत स्वास्थ्य चिकित्सा विज्ञानी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:
परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दंत स्वास्थ्य चिकित्सा विज्ञानी	02* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदश्यों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए आयु-सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला और चम्बा जिला का पांगी उपखंड तथा लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से जीव-विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से दंत स्वास्थ्य चिकित्सा विज्ञान में दो वर्ष का डिप्लोमा; (iii) भारतीय दंत परिषद में दंत स्वास्थ्य चिकित्सा विज्ञानी के रूप में रजस्ट्रीकृत; अनिवार्य अनुभव: किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल में दंत स्वास्थ्य चिकित्सा विज्ञानी के रूप में तीन वर्षों का अनुभव।	आयु: लागू नहीं होता शैक्षिक अर्हताएं: लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टरों या कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300) में नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो या समतुल्य; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: (i) अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल - अध्यक्ष; (ii) विभागाध्यक्ष, दंत, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य; (iii) उपनिदेशक (प्रशासन), सफदरजंग अस्पताल - सदस्य।	परामर्श आवश्यक नहीं।

केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

[फा. सं. ए.11018/20/2006-आरआर]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 7th October, 2020

G.S.R. 145 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjung Hospital, New Delhi (Dental Hygienist, Group ‘C’ post) Recruitment Rules, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Dental Hygienist in the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, namely:-

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Dental Hygienist (Group ‘B’ Post), Recruitment Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification, level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached there to shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.**—No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dental Hygienist.	02* (2020) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group ‘B’, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Not exceeding thirty years. Relaxable for government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by central government. Note : The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya , Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur , Nagaland , Tripura , Sikkim , Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	(i) 12th class pass with Biology as a subject from a recognised Board or institute; (ii) two years Diploma in Dental Hygienist from a recognised institute; (iii) registered with Dental Council of India as Dental Hygienist; Essential Experience : Three years' experience as Dental Hygienist in a recognised Hospital.	Age : Not applicable Educational Qualifications: Not applicable .

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation /absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits	Deputation including short term contract failing which by direct recruitment.	Deputation (including short term contract) Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or recognised research institutions or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations:- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-5 in the pay matrix (29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not to exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty -six years as on the closing date of receipt of applications.

PREM NARAIN, Under Secy.

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बहु-कार्य कर्मचारीवृंद	84 * (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रुपए)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच आयु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले का पांगी उपखंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।)	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) से समतुल्य। टिप्पण-1 अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण-2 अनुभव संबंधी अर्हताएं, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति सीमित है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली -अध्यक्ष; 2. उप निदेशक प्रशासन, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली -सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में कलावती सरन बाल अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक प्रशासन -सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं.ए.12018/04/2017-एमएच-II]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

New Delhi, the 7th October, 2020

G.S.R. 146 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Kalawati Saran Children's Hospital (Group 'D' posts) Recruitment Rules 1979 , in so far as they relate to the posts of Safaiwalas/Safaiwalies, Chowkidars/Watchman, Malies, Peons/Dak Runner, Darwans, Jamadars/Supervisors, Daftry, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi-Tasking Staff in Kalawati Saran Children's Hospital ,New Delhi under Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Kalawati Saran Children Hospital, New Delhi, Multi-Tasking Staff (Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing , relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Multi-Tasking Staff.	84* (2020) *Subject to variation on dependent workload.	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non Ministerial	Level- 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18 and 27 years of age. Relaxable for Government Servants upto age of forty years in the case of general candidates and up to the age of forty –five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Note : The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya , Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur , Nagaland , Tripura , Sikkim , Lahaul and Spiti District and Pangl Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	10 th class pass from a recognised Board or Industrial Training Institute (ITI) equivalent. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	Direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Medical Superintendent, Kalawati Saran Children 's Hospital - Chairman; 2. Deputy Director Administration, Kalawati Saran Children 's Hospital, New Delhi - Member; 3. Deputy Director Administration looking after the work of Kalawati Saran Children's Hospital in Directorate General of Health Services - Member.	Not applicable.

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि. 147.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली समूह 'ग' भर्ती नियम, 1986 और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, समूह 'ग' भर्ती नियम, 1987 और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (सूचीकार) भर्ती नियम, 1989 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में पुस्तकालय एवं सूचना सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, पुस्तकालय एवं सूचना सहायक (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुस्तकालय एवं सूचना सहायक	03* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपए)	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथाविज्ञापित होगी

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हताएँ : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर एप्लिकेशन में डिप्लोमा। आवश्यक अनुभव : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के पुस्तकालय में दो वर्षों का व्यावसायिक अनुभव।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएँ : हाँ	दो वर्ष	67 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । 33 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
विभागीय पुस्तकालय लिपिक में से प्रोन्नति, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200 रुपए) में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री रखते हों। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं: या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300) या इसके समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: - अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज - अध्यक्ष; - स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के चिकित्सा शिक्षा अनुभाग के प्रभारी उप निदेशक प्रशासन - सदस्य; - उप निदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज - सदस्य। विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: - अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज - अध्यक्ष; - स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के चिकित्सा शिक्षा अनुभाग के प्रभारी उप निदेशक प्रशासन - सदस्य; - उप निदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए.11018/3/2005- एमएच II (आरआर)]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

New Delhi, the 7th October, 2020

G.S.R. 147 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi, Group C Recruitment Rules, 1986, and the Lady Hardinge Medical College & Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Group 'C' Recruitment Rules, 1987 and Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi (Cataloguer) Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Assistant, in Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi namely:—

- Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Library and Information Assistant, (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification.**—No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes. Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether Selection post or Non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Library and Information Assistant	3* (2020) *Subject to variation on dependent workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Selection post

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential Qualifications : Bachelor Degree in Library Science or Library and Information Science from recognised University or Institute. Desirable: Diploma in Computer Application from a recognised University or Institution. Essential Experience : Two years professional experience in a Library under Central Government or State Government or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or University or recognised research or educational institution.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Age : no Educational Qualifications : Yes	Two years.	67 percent by direct recruitment. 33 percent by promotion failing which by deputation including Short Term Contract.

In case of recruitment by promotion or deputation /absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion from Departmental Library Clerk in level 2 in the pay matrix (Rs. 19900- 63200) with 10 years of regular service in the grade and possessing Bachelors degree in Library Science or Library and Information Science from a recognized University or Institute. Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research institutes : (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ;or (ii) with six years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay level -5 of the pay matrix (Rs. 29200—92300) or equivalent in the parent cadre or department ; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for Direct Recruits under column (7).	Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of:- 1. Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College -Chairman; 2. Deputy Director Administration, in charge of Medical Education Section, Directorate General of Health Services -Member; 3. Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College -Member. Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of : 1. Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College -Chairman; 2. Deputy Director Administration, in charge of Medical Education Section, Directorate General of Health Services -Member; 3. Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College -Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.11018/3/2005-MH II(RR)]

PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि. 148 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (सहायक माइक्रोबायोलोजिस्ट) भर्ती नियम, 1995 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में सहायक माइक्रोबायोलोजिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, सहायक माइक्रोबायोलोजिस्ट (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक माइक्रोबायोलोजिस्ट	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रुपए)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी: (ख) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं: या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100/-) या समतुल्य में पदों पर दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400/-) या समतुल्य में पदों पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों : आवश्यक : (I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैकटेरियोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में स्नातकोत्तर की डिग्री। (II) किसी मान्यताप्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान या अस्पताल या जन स्वास्थ्य या नैदानिक प्रयोगशाला में माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में तीन वर्षों का व्यावसायिक अनुभव। टिप्पण :- प्रतिनियुक्ति की अवधि(अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि(अल्पकालिक संविदा सहित) शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए.11018/50/2005-आरआर]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

New Delhi, the 7th October, 2020

G.S.R. 148 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi (Assistant Microbiologist) Recruitment Rules, 1995, except as respects things done or omitted to be done before such supersession

the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Microbiologist, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Assistant Microbiologist (Group- 'A' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of the rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and Other Special Categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in Pay Matrix	Whether Selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Microbiologist	1* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-ministerial	Level-10 (56100-177500/-)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By deputation (including short- term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation /absorption grade from which promotion or deputation /absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (Including short-term contract): Officers under the Central Government or State Government or union territories or Universities or Recognised Research Institutes or Public Sector Undertakings or Semi- Government or Autonomous or Statutory Organisations: (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in the posts in level-8(Rs.47600-151100/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) three years regular service in the posts in level-7(Rs. 44900 -142400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience : Essential : (I) Masters degree in Bacteriology or Microbiology of recognised University or Institute. (II) With three years professional experience in the field of Microbiology in a government recognised Medical Institute or Hospital or public health or Clinical Laboratory. Note : Period of deputation (Including short-term contract) including period of deputation (Including short-term contract) in another ex – cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central government shall not ordinarily exceeding three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (Including short – term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary

[F. No. A.11018/50/2005-RR]

PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि. 149.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1990 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में डिस्पैच राइडर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, डिस्पैच राइडर, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन- मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता : वह व्यक्ति-**
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति .**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की ऐसी कोई बात, आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिस्पैच राइडर	01* (एक) (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रुपये)	अचयन।	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों और अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,

					त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
--	--	--	--	--	---

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(7)	(8)
मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं पास सहित मोटर साईकल या ऑटो रिकशा चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस	आयु : नहीं अर्हता : हाँ

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रुपये 18000-56900/-) में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों में से प्रोन्नति जिन्होंने तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे : - उप प्राचार्य, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल – अध्यक्ष; - अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल – सदस्य; - उप निदेशक (प्रशासन), लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल – सदस्य; विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे : - उप प्राचार्य, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल – अध्यक्ष; - अपर चिकित्सा, अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल – सदस्य; - उप निदेशक (प्रशासन), लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल – सदस्य;	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए.11018/21/2016-एमएच-II]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

New Delhi, the 8th October, 2020

G.S.R. 149 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi (Group 'C' post) Recruitment Rules, 1990, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Despatch rider in Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi, Despatch Rider (Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Despatch Rider	1(One)* (2020) *Subject to variation on dependent workload	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non Ministerial	Level - 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200)	Non selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18 and 25 years (Relaxable for government servants upto the age of forty years in case of general candidates and upto forty-five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by Central Government). Note 1 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam , Meghalaya ,Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur , Nagaland , Tripura , Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	12 th pass from a recognised Board with valid driving license for motor cycle or autorikshaw.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Age-No. Qualification-yes	Two years	By promotion failing which by direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion from Group 'C' employees in Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital with three years regular service in the Level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900)	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: (1) Vice Principal , Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Chairman; (2) Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College -Member; (3) Deputy Director (Administration), Lady Hardinge Medical College -Member. Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of: (1) Vice Principal, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Chairman; (2) Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College -Member; (3) Deputy Director (Administration), Lady Hardinge Medical College -Member.	Not applicable.

[F. No. A.11018/21/2016-MH-II]

PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि. 150.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विलिंगडॉन हॉस्पिटल और नर्सिंग होम (श्रेणी IV) भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध थिएटर अर्दली के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में ऑपरेशन थिएटर परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, ऑपरेशन थिएटर परिचर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
- उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
- परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ऑपरेशन थिएटर परिचर	32* (2020) थिएटर अर्दली(30) थिएटर परिचर (2) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु.)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो

					असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला और चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के अभ्यर्थियों के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को नामों को प्रस्तुत करने को कहा गया है।
--	--	--	--	--	--

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हताएँ : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से प्राथमिक उपचार प्रमाण-पत्र। आवश्यक अनुभव : कम से कम 50 बिस्तरों वाले मान्यताप्राप्त अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में कम से कम छह महीने कार्य करने का अनुभव। टिप्पण-1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण- 2: अनुभव संबंधी अर्हताएँ, कर्मचारी चयन आयोग के	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करके, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			
--	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा	यदि विभागीय पुष्टि समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: - अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; - डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष - सदस्य; - डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के उप निदेशक प्रशासन - सदस्य।	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए-11018/46/2019-एमएच-II]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

New Delhi, the 8th October, 2020

G.S.R. 150.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the erstwhile Willingdon Hospital and Nursing Home (Class IV) Recruitment Rules, 1973, in so far as they relate to the post of Theatre Orderly, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Operation Theatre Attendant in the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Operation Theatre Attendant (Group 'C' Posts), Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classifications, level in the pay matrix.—The number of the said posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix.	Whether Selection post or non-selection
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Operation Theatre Attendant	32* (2020) Theatre Orderly (30) Theatre Attendant (2) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-1 in the pay matrix (18000-56900).	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, and Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub -division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep. Note 2: The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from employment exchange shall be the last date up to which the employment exchange is asked to submit the names.	Essential Qualifications: (i) 10th pass from recognised Board and (ii) Certificate in First Aid from a recognised Institute. Essential Experience: Minimum six months experience of working in an Operation Theatre of a recognised hospital of minimum 50 beds Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1) Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi - Chairman (2) Head of Department of the concerned Department of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi -Member (3) Deputy Director Administration, of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi - Member	Not applicable

[F. No. A. 11018/46/2019-MH II]

PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि. 151.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विलिंगडन अस्पताल और नर्सिंग होम (श्रेणी IV) भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध वाहक, भिष्यी, सहायक रसोइया, कहार, खिदमदगार और मशालची के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में वाहक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, वाहक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि .—** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता .—** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति .—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, और इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति .—**इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वाहक	60* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रुपए)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न की वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला तथा चंबा जिला का पांगी उपखंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है। टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के अभ्यर्थियों के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस

					दिन तक रोजगार कार्यालय को नामों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
--	--	--	--	--	---

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मेट्रिक्युलेशन या इसके समतुल्य अर्हता। टिप्पण 1: अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पुष्टि समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (1) चिकित्सा अधीक्षक, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; (2) अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य; (3) डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के उप निदेशक प्रशासन - सदस्य।	लागू नहीं होता

[फा. सं.ए.11018/47/2019-एमएच II]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

New Delhi, the 9th October, 2020

G.S.R. 151.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Willingdon Hospital and Nursing Home (Class IV) Recruitment Rules 1973, in so far as they relate to the posts of Bearer, Bhithi, Cook mate, Kahar, Khidmadgar and Masalchi, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Bearer, in the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Bearer (Group 'C' Posts), Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classifications, level in the pay matrix.—The number of the said posts, classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bearer	60* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (18000-56900).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub -division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands and Union Territory of Lakshdweep. Note 2: The crucial date for determining the age-limit in	Matriculation or its equivalent qualification from a recognised Board Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.

the case of candidates from employment exchange shall be the last date up to which the employment exchange is asked to submit the names.	
--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1) Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi - Chairman; (2) Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi - Member; (3) Deputy Director Administration, of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi - Member	Not applicable.

[F. No. A. 11018/47/2019-MH II]
PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि. 152.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में कृत्रिम अंग विज्ञानी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, कृत्रिम अंग विज्ञानी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि .—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति .— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कृत्रिम अंग विज्ञानी	02* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रुपए)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	आयु : लागू नहीं होता शैक्षिक अर्हताएं : लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति, अल्पकालिक संविदा सहित

प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र, प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी: (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 6 (35400-112400 रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस स्तर में पाँच वर्ष की सेवा की हो या समतुल्य; और	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है

(ख) निम्नानुसार विहित अर्हताएँ और अनुभव रखते हों: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृत्रिम अंग विज्ञानी और ओर्थोटिक्स में स्नातक डिग्री। (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों में कृत्रिम अंग विज्ञानी और ओर्थोटिक्स में कार्य का दो वर्षों का अनुभव। या (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृत्रिम अंग विज्ञानी और ओर्थोटिक्स में डिप्लोमा। (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों में कृत्रिम अंग विज्ञानी और ओर्थोटिक्स में कार्य का चार वर्षों का अनुभव। टिप्पण - 1 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण- 2 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

[फा. सं. ए.12018/11/2016-एमएच-II]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

New Delhi, the 12th October, 2020

G.S.R. 152.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Prothetist in Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, namely:-

- Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Prothetist (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification, level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.**—No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving .**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Prothetist	02* (2020) Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B' Non Gazetted, Non-Ministerial	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Age: Not Applicable Educational Qualification: Not Applicable	Not applicable	Deputation (Including short term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation /absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (Including Short Term Contract) officers under the Central Government or State Governments or Union territories, Administration or autonomous statutory organisation or public sector undertakings or University and recognised research institutions: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii)with five years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in the level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed as under: (i) Degree in Prosthetics and Orthotics from recognised University or institute. (ii) Two years working experience in Prosthetics and Orthotics	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary

from Central Government or State Governments or Union territories, Administration or autonomous statutory organisation or public sector undertakings or University and recognised research Institutes. or (i) Diploma in Prosthetics and Orthotics from recognised University or institute. (ii) Four years working experience in Prosthetics and Orthotics from Central Government or State Governments or Union territories, Administration or autonomous statutory organisation or public sector undertakings or University and recognised research institutes. Note 1: The period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
---	--	--

[F. No. A. 12018/11/2016-MH II]

PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि. 153.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में जैव सांख्यिकीविद् के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, जैव सांख्यिकीविद्, (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—**पद की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हताएं.—**वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जैव सांख्यिकीविद्	02* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400 रु.)	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक नियत तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथाविज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सांख्यिकी में स्नातक डिग्री। (ii) सरकार से मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सॉफ्टवेयर पैकेज जैसे एसएसएस (सांख्यिकीय विश्लेषण प्रणाली); एसपीएसएस (सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज); एमएस ऑफिस और एसटीएटीए (सांख्यिकी और डाटा) विषयों के साथ न्यूनतम छह मास का कंप्यूटर पाठ्यक्रम। वांछनीय: (i) सरकारी या अर्ध-सरकारी या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान में जैव-सांख्यिकीविद् के रूप में एक वर्ष का अनुभव। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 5 (29200-92300 रुपए) वाले पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा हो; और (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। टिप्पण : (i) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. संबंधित विभाग के प्रमुख, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य ; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के चिकित्सा अस्पताल प्रभाग के प्रभारी उप निदेशक - सदस्य; 4. उप निदेशक प्रशासन, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं.ए.12018/23/2016-एमएच -II]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

New Delhi, the 12th October, 2020

G.S.R. 153.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Bio Statistician in the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, namely:-

- Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Bio Statistician (Group 'B' post), Recruitment Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualifications.**—No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen or other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether Selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bio Statistician	02* (2020) *Subject to variation depending on workload	General Central Service, Group 'B' Non-gazetted, Non-Ministerial	Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note : The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential : (i) Bachelor Degree in Statistics from a recognised University or Institute. (ii) Minimum six months computer course from government recognised University or Institute having subjects including software packages like SAS (Statistical Analysis System); SPSS (Statistical Package for Social Science), MS-Office and STATA (Statistics and Data). Desirable : i) One year experience as Bio Statistician in Government or Semi Government or Public Sector Undertaking or recognised Research Institute. ii) Master degree in Statistics from a recognised University or Institute.	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Two years	Deputation including short term contract failing which by direct recruitment	Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Autonomous or Statutory Organisations or Public Sector Undertaking or University or recognised Research Institute : (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department ; or (ii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level- 5 (Rs. 29200- 92,300) of the pay matrix and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note : (1) The Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. (ii) The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty - six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of:- (1) Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital, New Delhi -Chairman; (2) Head of concerned Department, Safdarjung hospital -Member; (3) Deputy Director in charge of Medical Hospital Division, Directorate General of Health Services -Member; (4) Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/23/2016-MH-II]

PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि. 154.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और (i) विलिंगडन अस्पताल और नर्सिंग होम (श्रेणी IV) भर्ती नियम, 1973 को, जहाँ तक उनका संबंध रसोइया और प्रधान रसोइया के पद से है, और (ii) डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और नर्सिंग होम (समूह 'घ') भर्ती नियम 1979 को, जहाँ तक उनका संबंध बटलर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का

लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में रसोईया के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, रसोईया (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रसोईया	15* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रुपए)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न की वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल

					प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला तथा चंबा जिला का पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है। टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के अभ्यर्थियों के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस दिन तक रोजगार कार्यालय को नामों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
--	--	--	--	--	--

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या इसके समकक्ष अर्हता; और (ii) कम से कम 200 व्यक्तियों के लिए खाना बनाने वाली किसी संस्थागत किचन में खाना बनाने का एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएँ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार कारणों को लेखबद्ध करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं और चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (i) अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली -अध्यक्ष; (ii) डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष -सदस्य; (iii) डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के उप निदेशक प्रशासन-सदस्य ।	लागू नहीं होता

[फा. सं.ए.11018/44/2019-एमएच II]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

New Delhi, the 13th October, 2020

G.S.R. 154.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of (i) the Willingdon Hospital and Nursing Home (Class IV) Recruitment Rules, 1973, in so far as they relates to the posts of Cook and Head Cook and (ii) the Doctor Ram Mahohar Lohia Hospital and Home (Group - 'D') Recruitment Rules, 1979, in so far as they relate to the post of Butler, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Cook in the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Cook (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classifications, level in the pay matrix.—The number of the said posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Cook.	15* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-gazetted Non-ministerial	Level-1 (Rs.18000-56900/-) in the pay matrix	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18 and 27 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub -division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Union territory of Lakshdweep. Note 2: The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from employment exchange shall be the last date up to which the employment exchange is asked to submit the names.	(i) Matriculation or its equivalent qualification from a recognised Board; and (ii) One year experience of cooking in an Institutional kitchen catering to at least two hundred persons. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Confirmation Committee (considering confirmation) consisting of :- (1) Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi - Chairman; (2) Head of Department of the concerned Department of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi -Member; (3) Deputy Director Administration, of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi - Member.	Not applicable.

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि. 155 .— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और (i) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उनका संबंध ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन के पद से है; (ii) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, अस्थिरोग तकनीशियन, भर्ती नियम, 1987; (iii) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (ऑपरेशन थिएटर सहायक) भर्ती नियम, 1991 और (iv) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल और कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, (ऑपरेशन थिएटर परिचर) (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2007 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में ऑपरेशन थिएटर परिचर, ऑपरेशन थिएटर सहायक, ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन और वरिष्ठ ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, ऑपरेशन थिएटर परिचर, ऑपरेशन थिएटर सहायक, ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन और वरिष्ठ ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **लागू होना.**—ये नियम, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ऑपरेशन थिएटर परिचर	04(चार)* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु.)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला और चम्बा जिला का पांगी उपखंड, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, अंदमान और निकोबार द्वीप संघ और लक्षद्वीप राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। (iv) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से प्राथमिक उपचार प्रमाण-पत्र। आवश्यक अनुभव : कम-से-कम 50 विस्तरों वाले किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में कार्य का न्यूनतम छह महीने का अनुभव। टिप्पण- 1 अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

टिप्पण- 2 अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			
--	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: 1. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर विभाग के प्रमुख - अध्यक्ष; 2. उप निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. ऑपरेशन थिएटर सहायक	06 (छह)* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 रु.)	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति

					के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला और चम्बा जिला का पांगी उपखंड, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, अंदमान और निकोबार द्वीप संघ और लक्षद्वीप राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिकी, रसायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान सहित 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण के साथ पचास बिस्तर वाले किसी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में एक वर्ष के अनुभव। टिप्पण- 1 अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण- 2 अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	चालीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा साठ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
लेडी हार्डिंग मेडिकल अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर परिचर में से प्रोन्नति, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रुपए) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: - लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर विभाग के प्रमुख -अध्यक्ष; - उप निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल -सदस्य; - स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक -सदस्य। विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: - लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर विभाग के प्रमुख -अध्यक्ष; - उप निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल -सदस्य; - स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक -सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन	54(चौवन)* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.)	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला और चम्बा जिला का पांगी उपखंड, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, अंदमान और निकोबार द्वीप संघ और लक्षद्वीप राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से भौतिकी, रसायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान में 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड, संस्थान या विश्वविद्यालय से ऑपरेशन थिएटर पाठ्यक्रम में एक वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र। (iii) कम से कम पचास बिस्तर वाले अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण- 1 अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण- 2 अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	पाँच प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा। पंचानवे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
लेडी हार्डिंग मेडिकल अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर सहायकों में से प्रोन्नति, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रुपए) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: - लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर विभाग के प्रमुख -अध्यक्ष; - उप निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - सदस्य; - स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य। विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: - लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

	अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर विभाग के प्रमुख -अध्यक्ष; 2. उप निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल -सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य ।	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.वरिष्ठ ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन	*01 (एक) (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
लेडी हार्डिंग मेडिकल अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन में से प्रोन्नति, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रुपए) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो ।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: (1) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर विभाग के प्रमुख - अध्यक्ष; (2) उप निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल -सदस्य; (3) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल का कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए.11018/25/2003-आरआर]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

New Delhi, the 13th October, 2020

G.S.R. 155 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of (i) the Lady Hardings Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981 in so far as they relate to the post of Operation Theatre Technician; (ii) the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Technician in Orthopaedics Recruitment Rules, 1987; (iii) the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi (Operation Theatre Assistant) Recruitment Rules, 1991 and (iv) the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital and Kalawati Saran Children Hospital, New Delhi, (Operation Theatre Attendant) (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Operation Theatre Attendant, Operation Theatre Assistant, Operation Theatre Technician and Senior Operation Theatre Technician in the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi namely:-

1. Short title and commencement .—(1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Operation Theatre Attendant, Operation Theatre Assistant, Operation Theatre Technician and Senior Operation Theatre Technician (Group 'C' posts), Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application .—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix .—The number of the said posts, their classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification .—No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax .—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving .—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Operation Theatre Attendant	*04 (Four) 2020 *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial	Level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900/-)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar islands , Union territories of Ladakh and Lakshdweep).	(i) 10 th pass from a recognised Board and (ii) Certificate in First Aid from a recognised Institute. Essential Experience : Minimum six months experience of working in an Operation Theatre of a recognised hospital of minimum 50 beds. Note 1. – Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2. – Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	Forty per cent by promotion Sixty per cent by direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Promotion amongst Operation Theatre Attendants of Lady Hardinge Medical Hospital with six years regular service in level-1 in pay matrix (Rs. 18000-56900/-)	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Head of the Operation Theatre Department in Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Chairman; (2) Deputy Director Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Member; (3) Deputy Director looking after the work of Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital in Directorate General of Health Services -Member. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Head of the Operation Theatre Department in Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Chairman; (2) Deputy Director Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Member; (3) Deputy Director looking after the work of Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital in Directorate General of Health Services -Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Operation Theatre Technician	*54 (Fifty-four) (2020) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100/-)	Non-selection

(6)	(7)
Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar islands , Union territories of Ladakh and Lakshdweep).	(i) 12 th class pass in Science with Physics, Chemistry and Biology from a recognised Board. (ii) One year Diploma or Certificate in Operation Theatre Course from recognised Board, Institution or University. (iii) One year experience of working in Operation Theatre in a minimum fifty bedded hospital. Note 1. – Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the competent authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2. – Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the competent authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for direct recruits	Five per cent promotion. Ninety-five per cent direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Promotion amongst Operation Theatre Assistants of Lady Hardinge Medical Hospital with five years regular service in level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100/-).	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Head of the Operation Theatre Department in Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Chairman; (2) Deputy Director Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Member; (3) Deputy Director looking after the work of Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital in Directorate General of Health Services -Member. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Head of the Operation Theatre Department in Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Chairman; (2) Deputy Director Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Member; (3) Deputy Director looking after the work of Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital in Directorate General of Health Services -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Senior Operation Theatre Technician	*01 (One) (2020) *subject to variation on dependent workload	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial	Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300/-)	Non- selection

(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion amongst Operation Theatre Technicians of Lady Hardinge Medical Hospital with five years regular service in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100/-).	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) for consisting of:- (1) Head of the Operation Theatre Department in Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Chairman; (2) Deputy Director Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Member; (3) Deputy Director looking after the work of Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital in Directorate General of Health Services -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.11018/25/2003-RR]

PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि. 156.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली,

दन्त शल्य-चिकित्सा में तकनीकी सहायक, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में दन्त शल्य-चिकित्सा में तकनीकी सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, दन्त शल्य-चिकित्सा में तकनीकी सहायक(समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दन्त शल्य-चिकित्सा में तकनीकी सहायक	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपये)	लागू नहीं होता।	20 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) (आयु-सीमा निर्धारण की नियत तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथाविज्ञापित होगी।)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से डेंटल हाइजीन/डेंटल मैकेनिक/ मक्सिलो-फेशियल प्रॉस्थेसिस और ऑर्थोडोंटिक अप्लाइन्सेस में (कम-से-कम दो वर्ष) का डिप्लोमा। (iii) भारतीय दन्त परिषद(डीसीआई) में डेंटल हाइजीनिस्ट/डेंटल मैकेनिक के रूप में पंजीकृत। वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल के दन्त विभाग में कार्य का एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएँ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार कारणों को लेखबद्ध करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	100% प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर चले जाने अथवा लंबे समय से बीमार होने अथवा अध्ययन अवकाश पर चले जाने पर अथवा अन्य परिस्थितियों में होने वाली रिक्तियों को केंद्र सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा जो- (क) (i) नियमित आधार पर समकक्ष पद धारित किए हुए हों; या (ख) (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये) या समतुल्य पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और निम्नलिखित अर्हताएं रखते हों : (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से डेंटल हाइजीन/डेंटल मैकेनिक/मक्सिलो-फेशियल प्रॉस्थेसिस और ऑर्थोडोंटिक अप्लाइन्सेस में डिप्लोमा/प्रमाण पत्र, और (ii) किसी अस्पताल के दन्त विभाग में कार्य का एक वर्ष का अनुभव। (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेसन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों : (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से डेंटल हाइजीन/डेंटल मैकेनिक/मक्सिलो-फेशियल प्रॉस्थेसिस और ऑर्थोडॉन्टिक अप्लाइन्सेस में डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र; और (ii) किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल के दन्त विभाग में कार्य का एक वर्ष का अनुभव । टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	समूह-ग विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: (i) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के दन्त विभाग के प्रमुख - अध्यक्ष; (ii) उपनिदेशक (प्रशासन), लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली - सदस्य; (iii) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज - सदस्य । का प्रशासनिक कार्य देखने वाले उप निदेशक	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए.11018/29/2016-एमएच II]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

New Delhi, the 13th October, 2020

G.S.R. 156 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of The Ministry of Health and family Welfare , Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Technical Assistant in Dental Surgery, Group ‘C’ post Recruitment Rules, 2017 , except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Assistant in Dental Surgery, Lady Hardinge Medical College and Srimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Srimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Technical Assistant in Dental Surgery (Group ‘C’ Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person , -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Technical Assistant in Dental Surgery	1* (2020) *(Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service , Group-C , Non Gazetted , Non –Ministerial	Level- 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
20 - 27 years (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. (The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Staff Selection Commission)	Essential : (i) 12th Class Pass from a recognised Board. (ii) Diploma (at least of two years) in Dental Hygiene/Dental Mechanic/Maxillo-facial prosthesis and Orthodontic appliances from a recognised Institution and (iii) Registered as Dental Hygienist/ Dental Mechanic with Dental Council of India (DCI). Desirable: Experience of work in a Dental Department of a recognised hospital for one year. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.

	Note 2: Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
--	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for direct recruits	100 % By Deputation (including short term contract) failing which by Direct Recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government. (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years of regular service in level 4 (25500-81100) or equivalent in the parent cadre/department; and (b) possessing the following qualifications : (i) Diploma/ Certificate in Dental Hygiene/Dental Mechanic/Maxillo-facial prosthesis and Orthodontic appliances from a recognised Institution and (ii) Experience of work in Dental Department of a hospital for one year. (the maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short term contract) Officers under the Central or State Government or Union territories or Autonomous or Statutory Organizations or Public Sector Undertaking or University or recognised Research Institution. (a) (i) holding analogous posts on regular basis ; or (ii) with five years of regular service in Level-4 (Rs 25500-81100) ; and	Group-C Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Head of Dental Department, Lady Hardinge Medical College -Chariman; 2. Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College , New Delhi -Member; 3. Deputy Director looking after the administration work of Lady Hardinge Medical College in Directorate General of Health Services -Member.	Not applicable.

(b) possessing the following qualifications and experience : (i) Diploma/Certificate in Dental Hygiene/Dental Mechanic/Maxillo-facial prosthesis and Orthodontic appliances from a recognised Institution and (ii) Experience of work in Dental Department of a recognized hospital for one year. Note 1 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		
---	--	--

[F. No. A.11018/29/2016-MH II]

PREM NARAIN, Under Secy.